भारत सरकार

खान मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 64

17 जुलाई, 2017 को उत्तर के लिए

खनन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति

64. श्रीमती विजिला सत्यानंतः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या खनन पट्टों को पंजीकृत करने की अंतिम समय-सीमा से पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने में उनकी असमर्थता के कारण 300 से ज्यादा प्रस्तावित खानें नॉन-स्टार्टर होने की संभावना का सामना कर रही थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी खानों को फिर से आरंभ करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की स्थिति के बावजूद ऐसे पट्टे देने हेतु राज्यों को अनुमति देने की पहल की है;

(घ) क्या खान-मजदूरों को ऐसी खानों में उस समय तक काम करने के लिए निषिद्ध कर दिया गया है जब तक कि सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश के अनुसार उन्हें अपेक्षित पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खान, विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.) : खान मंत्रालय ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) कठिनाइयों को दूर करने संबंधी आदेश, 2017 दिनांक 04.01.2017 को का.आ. 27(अ) द्वारा अधिसूचित किया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जिन मामलों में आवेदक द्वारा 11 जनवरी, 2017 अथवा उससे पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने की शर्त का पालन नहीं किया गया है, लेकिन पूर्व अनुमोदन अथवा आशय पत्र में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं, ऐसे आवेदनों पर विचार किया जाएगा और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसरण में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा खनन पट्टा जारी किया जाएगा, बशर्ते कि आवेदक द्वारा जब तक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अधीन बने नियमों के तहत यथा निर्धारित पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली जाती तब तक कोई खनन कार्यकलाप आरंभ नहीं किया जाएगा ।

*****